

यूजीसी के निर्देश... नियमित दिखानी होगी एंटी रैगिंग फिल्म

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

अजमेर. अब सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग फिल्म दिखानी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी कॉलेज, विश्वविद्यालयों को सत्र 2107-18 से एंटी रैगिंग फिल्म नियमित रूप से दिखाने के निर्देश दिए हैं।

यूजीसी सचिव प्रो. जसपाल सिंह संधु ने बताया कि इसके लिए चार फिल्में बनाई गई हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में रैगिंग के चलते एक छात्र अमन काचरू की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को दंडनीय अपराध घोषित किया था।

करनी होगी आकस्मिक जांच

यूजीसी ने एंटी रैगिंग कमेटियों को आकस्मिक जांच के निर्देश दिए हैं। इसके तहत संस्थाओं की कैंटीन, टॉयलेट, हॉस्टल, निजी/किराये के भवनों में रहने वाले छात्र-छात्राओं के कमरों, बस स्टैंड, पुस्तकालय और अन्य स्थान शामिल हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर हेल्प लाइन नंबर, ई-मेल से शिकायत भेजने की सुविधा मुहैया करानी होगी।

रैगिंग के चलते होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कॉलेज, विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग कमेटियां और प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।